

(1)


कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्वयन के लिए पूर्व में प्रसारित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/अमुअ(मु)/ 37/सू.अ./05/डी-703 दिनांक 23.1.07 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


अधिशायी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को अपने-अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। सम्बन्धित अपील अधिकारी निम्न प्रकार होंगे :-

क. सं.	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेन्ट अधिकारी
1	अधिशायी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
2	अधीक्षण अभियन्ता	सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
3	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव

  
उप सचिव (कार्य)  
सा.नि.वि. राज., जयपुर

क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ. अनु./07/डी-50 दिनांक 30-06-2007  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निजी सचिव, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- (2) प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक प.3(25)गृह-6/06 दिनांक 03-05-2007 के क्रम में प्रेषित है।
- (3) प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
- (4) शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
- (5) सचिव, राजस्थान सूचना आयोग ओ.टी.एस. जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
- (6) मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- (7) मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम/द्वितीय/एन.एच./पीएमजीएसवाई) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- (8) अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- (9) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., सभाग (समस्त) राजस्थान, जयपुर।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., वृत्त (समस्त) राजस्थान, जयपुर।
- (11) अधिशायी अभियन्ता सा.नि.वि., खण्ड (समस्त) राजस्थान, जयपुर।
- (12) अधिशायी अभियन्ता (मुख्यालय)/समस्त अनुभाग मुख्य अभियन्ता, कार्यालय सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।


  
उप सचिव (कार्य)  
सा.नि.वि. राज., जयपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिये, पूर्व आदेशों के क्रम में अधिनियम की धारा 5(2) के तहत उपखण्डीय स्तर पर सहायक अभियन्ताओं को "सहायक लोक सूचना अधिकारी" नियुक्त किया जाता है।

वह आवेदन कर्ता से प्राप्त आवेदन एवं अपील मीमो आदि के प्राप्त होने पर अधिकतम 5 दिवस में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया जाना, वांछित दी जाने वाली सूचना आदि का ब्यौरा निर्धारित पंजिका में संघारित करते हुए प्रगति रिपोर्ट लोक सूचना अधिकारी को नियमित रूप से प्रेषित करना, एवं अधिनियम में निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा असफल रहने पर वह नियमानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

  
उप सचिव(कमि)  
सा0नि0वि0, राज0, जयपुर

क्रमांक सीई/सानि/सू.अ./08/डी- 341

दिनांक 15/9/2008

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय मंत्री सा0नि0वि0, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 प्रमुख शासन सचिव, गृह(ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 3 प्रमुख शासन सचिव, सा0नि0वि0, शासन सचिवालय, जयपुर
- 4 शासन सचिव सा0नि0वि0, शासन सचिवालय, जयपुर
- 5 सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
- 6 मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा0नि0वि0, राज0, जयपुर
- 7 लोक सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, मु0अ0. एस एस/बी ओ टी/एन एच/पी एम जी एस वाई/ भवन/तकनीकी सहायक- प्रथम, अद्विशासी अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा0नि0वि0, राज0, जयपुर
- 8 लोक सूचना अधिकारी, एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा0नि0वि0 सम्भाग समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने सम्भाग के अधीनस्थ नियुक्त सार्वजनिक सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करें।

  
उप सचिव(कमि)  
सा0नि0वि0, राज0, जयपुर


कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सीई/साने/सू.अ./०८/डी-१०

दिनांक 15/04/2009

कार्यालय आदेश

उप शारान सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर की अ.शा.टीप सं.प.३(९) गृह-६/२००७ दिनांक २३.१२.०८ एवं प्रमुख शासन सचिव के अ.शा.टीप सं.प.३(१७) गृह-६/२००७ दिनांक ३०.०३.०९ की पालना में सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ से सम्बंधित प्रकरणों/मॉनेटरिंग हेतु इस विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक प्रथम, सा०नि०वि०, राज०, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।




मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव,

सा०नि०वि०, राजस्थान, जयपुर

दिनांक 15/04/2009

- क्रमांक सीई/साने/सू.अ./०८/डी-१०
1. प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
  2. प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
  3. प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
  4. प्रतिलिपि शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय जयपुर का सूचनार्थ प्रस्तुत है।
  5. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम, सा०नि०वि०, राज०, जयपुर को पालनार्थ एवं प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सूचना के अधिकार सम्बंधी प्रकरणों की प्रोग्रेस के साथ उपस्थित होने हेतु प्रेषित है।



मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव,

सा०नि०वि०, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

4

205 (9)

क्रमांक: सीई/सा/सू.अ. 110/डी - 268


दिनांक: 11-6-2010

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प14(1)सानि/2001 दि० 24.7.2007 एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु/07/डी-340 दि० 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./08/डी-353-360 दि० 25.9.2008 के अतिक्रमण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय में पदस्थापित निम्न अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-


क. सं०	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम, मुख्य अभियंता	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
2	अधीक्षण अभियंता (पथ)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
3	अधीक्षण अभियंता (एन०एच)	मुख्य अभियंता (एन०एच)
4	अधीक्षण अभियंता (पीएमजीएसवाई)	मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई)
5	अधीक्षण अभियंता (बी०ओ०टी०)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
6	अधीक्षण अभियंता (यातायात)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
7	अधीक्षण अभियंता (भवन)	मुख्य अभियंता (भवन)
8	अधीक्षण अभियंता (एस०एस०)	मुख्य अभियंता (एस०एस०)
9	उद्यानविज्ञ, सा०नि०वि, राज० जयपुर	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
10	अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव

आज्ञा से,

  
(सागर मल भानु)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. जेएलएन मार्ग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा०नि०वि, राज०, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(सागर मल भानु)  
शासन उप सचिव

22  
107

(5)

राजस्थान सरकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक: एफ.14(1)सानि/01

जयपुर, दिनांक

14 FEB 2011

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी संमसख्यंक आदेश दि० 24.7.2007 एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक मुं.अ./सानि/सू.अ.अनु. 07/डी-340 दि० 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मुं.अ./सानि/सू.अ. 08/डी-353-360 दि० 25.9.2008 एवं क्रमांक सीई/सानि/सू.अ. 10/डी-268 दि० 11.06.2010 के अतिक्रमण में निम्न अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सा० नि० वि० जयपुर।	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सा० नि० विभाग जयपुर।
2.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, सा० नि० वि० जयपुर।	उद्यानविज्ञ, सा० नि० वि० जयपुर।
3.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान सा० नि० वि० जोधपुर।	अधीक्षण अभियन्ता, वृत जोधपुर सा० नि० वि० जोधपुर।
4.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, सा० नि० वि० उदयपुर।	अधीक्षण अभियन्ता वृत उदयपुर, सा० नि० वि० उदयपुर।
5.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, सा० नि० वि० कोटा।	अधीक्षण अभियन्ता, वृत कोटा, सा० नि० वि० कोटा

आज्ञा से,

दिनेश -

(दिनेश कुमार गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि.वि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधान विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा० नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव सा० नि०।
5. सचिव राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. जेएलएन मार्ग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सा० नि० वि० राज०, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

दिनेश -

शासन उप सचिव

6

11

राजस्थान सरकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक: एफ. 14 (1)-सानि/01

जयपुर, दिनांक


आदेश

13 DEC 2011

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 24.7.2007 एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक मुंअ./सानि/सूअ.अनु. 07/डी-340 दिनांक 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मुंअ./सानि/सूअ.अनु.08/डी-353-360 दिनांक 25.09.2008 एवं क्रमांक सीई/सानि/सूअ. 10/डी-268 दिनांक 11.06.2010 एवं दिनांक 14.02.2011 के अतिक्रमण में निम्न अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


क्र. सं.	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	अधीक्षक उद्यान, सा०नि०वि०, जयपुर	उद्यानविज्ञ, सा०नि०वि० जयपुर।
2.	अधीक्षक उद्यान अलवर सा०नि०वि०	अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त अलवर, सा०नि०वि० अलवर।

आज्ञा से

dc   
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सा.नि.वि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव सा.नि.विभाग।
5. सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सा०नि०वि० राज० जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

dc   
शासन उप सचिव

13 DEC 2011

7

255  
12

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक सीई/सानि/सू.अ./13/डी-255

दिनांक-28/5/13

**आदेश**

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्र० प14(1)/सानि दि० 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्र० मु.अ./सानि/सू.अ.अनु.07/डी-340 दि० 6.8.2007 व आदेश क्र० मु.अ./सानि/सू.अ.अनु.08/डी-353-360 दि० 25.9.2008 एवं क्र० सीई/सानि/सू.अ. 10/डी-268 दि० 11.6.10 एवं दि० 14.2.2011 एवं दि० 13.12.11 के अतिक्रमण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय के निम्न अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.स०	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रथम), सा०नि०वि०, जयपुर।	वित्तीय सलाहाकार, सा०नि०वि०, जयपुर।
2	वरिष्ठ लेखा अधिकारी(द्वितीय), सा०नि०वि०, जयपुर।	वित्तीय सलाहाकार, सा०नि०वि०, जयपुर।
3	मुख्य विधि सहायक सा०नि०वि०, जयपुर।	संयुक्त विधि परामर्शी, सा०नि०वि०, जयपुर।

उप सचिव(कार्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सा०नि०वि० मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव सा०नि०विभाग।
5. सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।
8. संज्ञागत हक-ल

उप सचिव(कार्य) 28/5/13  
सा०नि०वि० जयपुर

(8) 221

(13)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:- सीई/सा नि /सूअ./14/डी- 1688

दिनांक:- 02/01/15

कार्यालय आदेश


सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प14(1)सानि/2001 दि० 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सूअ.अनु/07/डी-340 दि० 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सूअ./08/डी-353-360 दि० 25.9.2008 एवं क्र० सी ई/सा नि /सूअ.10/डी-268 दि० 11.6.10 एवं दि० 14.2.2011 एवं 13.12.11 एवं क्र० सी ई/सा नि /सूअ./13/डी-255 दि० 28/5/13 के अतिक्रमण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.स०	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	अधिशाषी अभियन्ता(क्यू०सी०)	मुख्य अभियन्ता ( क्यू०सी०)

  
उपसचिव(कार्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।
- 8.संभाग समस्त।

  
उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज०जयपुर



कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

260

14

क्रमांक-सीई/सा नि /सू.अ./15/डी-427

दिनांक-29/6/15

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प14(1)सानि/2001-दि0-24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु/07/डी-340 दि0 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./08/डी-353-360 दि0 25.9.2008 एवं क्र0 सी ई/सा नि /सू.अ.10/डी-268 दि0 11.6.10 एवं दि0 14.2.2011 एवं 13.12.11 एवं क्र0 सी ई /सा नि /सू.अ./13/डी-255 दि0 28/5/13 एवं क्र0 सी ई /सा नि /सू.अ./14/डी-1688 दि0 2/1/15 के अतिक्रमण में विभाग के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं०	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	अधीक्षण अभियन्ता (भवन), सा०नि०वि, राज० जयपुर	मुख्य अभियन्ता (भवन), सा०नि०वि, राज० जयपुर
2	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- I), सा०नि०वि, राज० जयपुर	अति० मुख्य अभियन्ता (पी०पी०पी०), सा०नि०वि, राज० जयपुर
3	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- II), सा०नि०वि, राज० जयपुर	अति० मुख्य अभियन्ता (पी०पी०पी०), सा०नि०वि, राज० जयपुर
4	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), बीकानेर	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- I), सा०नि०वि, राज० जयपुर
5	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), जोधपुर	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- I), सा०नि०वि, राज० जयपुर )
6	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), मालपुरा	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- I), सा०नि०वि, राज० जयपुर
7	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०)मालपुरा(सांगानेर-मालपुरा-भीलवाडा सडक	अति० मुख्य अभियन्ता, सा०नि०वि, संभाग-अजमेर
8	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), जयपुर- II	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- I), सा०नि०वि, राज० जयपुर
9	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), डीडवाना	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- I), सा०नि०वि, राज० जयपुर
10	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), कोटा	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- II), सा०नि०वि, राज० जयपुर
11	अधिशायी अभियन्ता, पी०डी०(पी०पी०पी०), अलवर	अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०पी०- II), सा०नि०वि, राज० जयपुर

29/6/15

12	अधिकाधी अधियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), उदयपुर	अधीक्षण अधियंता (पी०पी०पी०- 11), सा०नि०वि, राज० जयपुर
13	अधिकाधी अधियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), जयपुर- 1	अधीक्षण अधियंता (पी०पी०पी०- 11), सा०नि०वि, राज० जयपुर
14	अधिकाधी अधियंता, सा०नि०वि, खण्ड- दूदू	अधीक्षण अधियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर
15	अधिकाधी अधियंता, सा०नि०वि, खण्ड- चाकसू	अधीक्षण अधियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर
16	अधिकाधी अधियंता, सा०नि०वि, खण्ड- बस्ती	अधीक्षण अधियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर
17	अधिकाधी अधियंता, सा०नि०वि, खण्ड- कोटपुतली	अधीक्षण अधियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर

29/6/15  
उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि. मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

8. संभाग समस्त। संभाग, पब्लिक डिप्लिप जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर,  
9. अधीक्षण अधि० एच० एच० की.ओ. ये. पी. एन. जी. एच. बार्दी, एच० एच०, जयपुर, जोयपुर,  
आता आर, पब्लिक अधि० अधि० (हु०) क. सा०नि० अधि०, 29/6/15  
उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज० जयपुर  
अधि० अधि० गुण निपन्न ठ रवण्ड,

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- सीई/सा नि /सूअ./15/डी- 574

दिनांक:- 31/7/15

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प14(1)सा नि/2001 दि० 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सूअ.अनु/07/डी-340 दि० 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सूअ./08/डी-353-360 दि० 25.9.2008 एवं क्र० सी ई/सा नि /सूअ.10/डी-268 दि० 11.6.10 एवं दि० 14.2.2011 एवं 13.12.11 एवं क्र० सी ई /सा नि /सूअ./13/डी-255 दि० 28/5/13 एवं क्र० सी ई /सा नि /सूअ./14/डी-1688 दि० 2/1/15 एवं क्र० सी ई /सा नि /सूअ./15/डी-427 दि० 29/6/15 के अतिक्रमण में विभाग के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क.स०	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	अति० मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), सा०नि०वि० राज० जयपुर	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा०नि०वि० राज० जयपुर

31/7/15  
उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
6. संभाग समस्त- जयपुर प्रथम/द्वितीय/ अजमेर/ बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता एस०एस/बीओटी/पीएमजीएसवाई/एनएच/भवन/यातायात/पथ/अधि अभियन्ता (मुख्यालय)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/उद्यानविज्ञ/वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रथम)/वरिष्ठ लेखाधिकारी(द्वितीय)/मुख्य विधि सहायक जयपुर/अधि०अभि०(क्यू०सी०)।
8. संबंधित अधिकारी-अति० मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), सा०नि०वि०, राज० जयपुर
9. रक्षित पत्रावली।

31/7/15  
उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज० जयपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-सीई/सा नि /सू.अ./16/डी- 393

दिनांक:- 12.7.16

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प14(1)सानि/2001 दि० 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु/07/डी-340 दि० 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./08/डी-353-360 दि० 25.9.2008 एवं क्र० सी ई/सा नि /सू.अ.10/डी-268 दि० 11.6.10 एवं दि० 14.2.2011 एवं 13.12.11 एवं क्र० सी ई /सा नि /सू.अ./13/डी-255 दि० 28/5/13 एवं क्र० सी ई /सा नि /सू.अ./14/डी-1688 दि० 2/1/15 एवं क्र० सी ई /सा नि /सू.अ./15/डी-427 दि० 29/6/15 एवं क्र० सी ई /सा नि /सू.अ./15/डी-574 दि० 31/7/15 के अतिक्रमण में विभाग के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.स०	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	अति० मुख्य अभियन्ता ( विश्व बैंक ), सा०नि०वि, राज० जयपुर	मुख्य अभियन्ता (पी०एम०जी०एस०वाई०), सा०नि०वि, राज० जयपुर

४.

उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मंत्री महोदय, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा०नि० विभाग, शासन सचिवालय, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग राज० जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग राज० जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग,, राज० जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (पी०एम०जी०एस०वाई०), सा०नि०वि, राज० जयपुर
7. संभाग समस्त- जयपुर प्रथम/द्वितीय/ अजमेर/ बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर।
8. अति० मुख्य अभियन्ता ( प्रशासन )/ अधीक्षणअभियन्ता -तक० सहा० प्रथम /एसएस/ बीओटी/ पीएमजीएसवाई/एनएच/भवन/यातायात/पथ/अधि० अभियन्ता (मुख्यालय)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/उद्यानविज्ञ/वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रथम)/वरिष्ठ लेखाधिकारी(द्वितीय)/मुख्य विधि सहायक जयपुर/अधि०अभि०(क्यू०सी०)।
9. संबंधित अधिकारी-अति० मुख्य अभियन्ता ( विश्व बैंक ), सा०नि०वि, राज० जयपुर
10. रक्षित पत्रावली।

12/7/16

उपसचिव(कार्य)  
सा०नि०वि०, राज० जयपुर

प्रारूप-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन

नोडल अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता एवं तक0सहा0प्रथम

विभाग:-सार्वजनिक निर्माण विभाग

समयावधि वर्ष:- 2017-2018

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई(संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि(रु.में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि परचात			
1=2+3=4+5+6+7	2	3	4	5	6	7	8
4729	2859	1870	4375	214	41	99	105323.00



(सुनील जयसिंह)

नोडल अधिकारी

अधीक्षण अभियंता एवं तक0सहा0प्रथम

सा0नि0वि0,राज0जयपुर

## प्रारूप-2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:रा0लो0सू0अ0से वरिष्ठ अधिकारी ,विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग  
समयावधि वर्ष:- 2017-2018

कुल प्राप्त अपीलें(संख्या)	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित(संख्या)
1=2+3+4	2	3	4
440	397	18	25

( सुनील जयसिंह )

नोडल अधिकारी

अधीक्षण अभियंता एवं तक0सहा0प्रथम

सा0नि0वि0,राज0जयपुर